In NIRF 2025 Band 51-100
under the category
State Public University

Indian Literary & Art Society of Australia (ILASA Inc)
Our Culture , Our Identity

समझौता ज्ञापन

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

यह 'समझौता ज्ञापन' (एम.ओ.यू.) 20 जनवरी, 2026 (प्रभावी तिथि) की
इस दिनांक आगरा, उ.प्र., भारत एवं इंडियन लिटरेरी एंड
आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया (इलासा) इनकॉर्पोरेटेड से मान्य होगा।

मध्य एवं द्वारा

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A+ श्रेणी प्रदत्त)

एवं

Indian Literary & Art Society of Australia (ILASA Inc)
Our Culture , Our Identity

इंडियन लिटरेरी एंड
आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया (इलासा) इनकॉर्पोरेटेड

Scanned with OKEN Scanner

पारस्परिक सहभागिता पत्र

Memorandum of Understanding (MOU)

मध्य एवं द्वारा

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

एवं

इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया (इलासा) इनकॉर्पोरेटेड

आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना विश्व प्रसिद्ध स्मारक 'ताजमहल' के शहर आगरा में एक जुलाई सन् 1927 को हुई थी, जिसे आज हम डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम से जानते हैं । यह उत्तर भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक विस्तृत रूप से फैला हुआ था । यमुना नदी पर बसे आगरा को प्राचीन काल में 'अग्रवन' के नाम से जाना जाता था।

पं. मोती लाल नेहरू (स्वतंत्रता सेनानी), श्रीहृदयनाथ कुंजरू (सदस्य, संविधान सभा), पं. दीनदयाल उपाध्याय (जनसंघ अध्यक्ष, विचारक एवं चिंतक), श्री चौ.चरण सिंह (पूर्व प्रधानमंत्री), श्री शंकर दयाल शर्मा (पूर्व राष्ट्रपति), श्री अटलबिहारी वाजपेयी (पूर्व प्रधानमंत्री), श्रीरामनाथ कोविंद (पूर्व राष्ट्रपति), श्री अजीत डोभाल (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) आदि विश्वविद्यालय के गौरवशाली छात्र रहे हैं ।

वर्तमान में प्रदेश के छह राजकीय महाविद्यालय, 27 संबद्ध महाविद्यालय, एक संघटक महाविद्यालय एवं 540 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं । वर्तमान में छात्रों की संख्या 4,79,894 है । आरंभ में विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं विधि संकाय थे, बाद में इसमें चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, गृह विज्ञान, होम्योपैथी, फाइन आर्ट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लाइफ साइंस, आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय सम्मिलित हुए ।

एवं

इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया (इलासा) इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना सिडनी की वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद रेखा राजवंशी ने 2011 में की।

भाषा, साहित्य और संस्कृति को समर्पित इस संस्था ने अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा भारत और विश्व के अनेक देशों के साहित्यकारों के सफल कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है जिनमें मुख्य हैं – यू के की दिव्या माथुर, ऊषा राजे सक्सेना, भारत के डॉ कुँअर बेचैन, अंग्रेजी के साहित्यकार, कन्नड के श्रीनिवास, पंजाबी के फूल चंद्र मानव और उर्दू के खुशबीर सिंह शाद आदि के कार्यक्रम आयोजित किए। सिडनी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कांफ्रेंस के अलावा न्यू साउथ वेल्स की संसद में भी युवा प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं ।

विश्वरंग भोपाल ने 2023 में संस्था के योगदान के लिए उसे सम्मानित किया।

Scanned with OKEN Scanner

संस्था हिंदी दिवस पर ऑस्ट्रेलिया स्तर की बच्चों और वयस्कों की कहानी और कविता प्रतियोगिता आयोजित करती है । दो पुस्तकों का प्रकाशन भी संस्था के माध्यम से हुआ है ।

उद्देश्य–

इसमें अनुसंधान प्रकाशनों, अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं पर विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना भी सम्मिलित है।

इस तरह के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कोई भी या सभी गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं:

1) आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

2) अल्पकालिक शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

3) संयुक्त रूप से आयोजित शैक्षणिक बैठकों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

4) दोनों संस्थाओं द्वारा हिंदी के साथ सभी भारतीय और दक्षिण एशियाई भाषाओं के प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाएगा।

5) दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

6) दोनों पक्ष किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए सहमत हो सकते हैं।

7) आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों के विषय–विशेषज्ञों को अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद 1 : कार्यक्षेत्र, लक्ष्य एवं सहयोग के स्वरूप

प्रत्येक पक्ष निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए सहमत है :

1) पूर्व निमंत्रण के माध्यम से प्रत्येक संस्थान एवं विभाग प्रमुख द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान परियोजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से विचारों का आदान–प्रदान किया जाएगा ।

2) प्रकाशनों, अध्ययन कार्यक्रमों, शैक्षणिक परियोजनाओं, पाठ्यक्रम की जानकारी, संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों तथा सामान्य रुचि की अन्य सूचनाओं व तथ्यों का आदान–प्रदान किया जाएगा ।

3) सभी संयुक्त गतिविधियों को आपसी सहमति, उपयुक्त संस्थान इकाई के स्पष्ट रूप से स्थापित शर्तों एवं पारस्परिक दायित्वों के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा ।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद : 2 प्रबंधन

1) दोनों संगठनों के बीच सहयोग के परिचालन, विवरण तैयार करने तथा इस समझौता ज्ञापन के उचित व प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों संस्थानों के कुलपति एवं अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे ।

2) दोनों पक्षों के शिक्षकों को मिलाकर एक संयुक्त सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसे गतिविधियों की समीक्षा के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करना होगा । इस बैठक में अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण सम्मिलित होगा ।

अनुच्छेद 3 : समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन

1) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य कार्यक्रम सारणी को अंतिम रूप देने के पश्चात छात्र और शोध छात्र संस्थान के संबंधित विभागों का भ्रमण कर सकते हैं ।

2) सभी प्रकार के व्यय का दायित्व संबंधित छात्र का होगा (किसी भी संस्थान द्वारा अपने विद्यार्थियों के साथ शुल्क पर आधारित किए गए कोई भी समझौता उनका निजी विषय होगा।)

3) दोनों ही पक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देंगे तथा अंतर्विषयक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे ।

अनुच्छेद 4 : नियम एवं शर्तें

1) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होने की दिनांक से प्रभावी होगा और प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए वैध होगा । जब भी आवश्यकता होगी, तब निर्धारित अवधि में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की समीक्षा करते हुए इसमें संशोधन व परिवर्तन किया जा सकेगा या समझौता ज्ञापन (एमओयू) की वैधता की अवधि आपसी सहमति से 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी । यह समझौता ज्ञापन आपसी लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है तथा किसी भी समय किसी भी पक्ष के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अधिसूचना/सूचना के आधार पर समाप्त किया जा सकंता है ।

2) सभी संयुक्त गतिविधियाँ या परियोजनाएँ जो कि समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त होने की दिनांक तक अपूर्ण रह गई हैं उन्हें इस 'एमओयू' की शर्तों के आधार पर पूर्ण होने तक जारी रखा जा सकता है ।

3) कोई भी संयुक्त आयोजन, संयुक्त कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान कार्य जो कि इस समझौता ज्ञापन के आधार पर किए जाएंगे उसके वित्तीय पोषण पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रावधानों एवं शर्तों के आधार पर नियोजित किया जाएगा ।

Scanned with OKEN Scanner

4) दोनों पक्षों द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर केवल शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) को दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा जिनमें से एक प्रति को प्रथम पक्ष द्वारा तथा दूसरी प्रति को द्वितीय पक्ष द्वारा रखा जाएगा ।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधि इस समझौता ज्ञापन के साक्षी हैं तथा वे यहाँ निहित शर्तों को सहमति से स्वीकार करते हैं ।

प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर –

इस समझौते की प्रतिलिपियों के अधिकारिक संस्करण की वैधता समान रूप से लागू होगी।

प्रो. आशु रानी
कुलपति
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा, भारत

दिनांक :

साक्षी

प्रो. प्रदीप श्रीधर
आचार्य, हिन्दी विभाग एवं निदेशक
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिन्दी
तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा

रेखा राजवंशी
संस्थापक, निर्देशक, अध्यक्ष
इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी
ऑफ ऑस्ट्रेलिया (इलासा) इनकॉर्पोरेटेड

दिनांक :

साक्षी

डॉ. सुभाष शर्मा
एग्जीक्यूटिव कमेटी
मेलबर्न

Scanned with OKEN Scanner